

हिमाचल सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा

शिमला: राज्य सरकार ने एक बार फिर नौकरियों का पिटारा खोलते हुए विभिन्न विभागों में 1,400 पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसमें अकेले शिक्षा विभाग में 1,100 पदों को भरा जाएगा, साथ ही आबकारी एवं कराधान विभाग में 108 पदों को भरने के अलावा अन्य विभागों में पदों को भरे जाने को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार दोपहर बाद हुई मंत्रिमंडल बैठक में विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए हिमाचल प्रदेश पढ़ा नियम, 2013 में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इसमें शिमला तथा कांगड़ा जिले में विस्थापित व्यक्ति मुआवजा व पुनर्स्थापन अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अनुरूप गैर-कानूनी तरीके से बेची गई पढ़ा सम्पत्तियों को शामिल किया गया है। अधिकतर विस्थापित सम्पत्ति का उपयोग लम्बे समय से किया जा रहा है, में कानूनी कार्रवाई से बचने का निर्णय लिया गया था और वर्तमान में पढ़ा नियम, 2013 के कुछ नियमों की जांच कर आवश्यक संशोधन किया जाए। यह नियम केवल उन सम्पत्तियों पर लागू होंगे जो गैर-कानूनी तरीके से बेची गई हैं।

मंत्रिमंडल ने मंडी मध्यस्थता योजना, 2016 के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत लगभग 1.11 मीट्रिक टन सेब का प्रापण 6.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से करने के अतिरिक्त 2.25 रुपए प्रति किलोग्राम हैंडइक्षलग चाड़ज तथा 3.25 रुपए प्रति किलोग्राम बिक्री अनुमान के रूप में निर्धारित किए गए हैं। योजना के तहत फल उत्पादक क्षेत्रों में मांग के आधार पर 279 प्रापण केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें से 162 एकत्रिकरण केन्द्र एचपीएमसी द्वारा खोले व क्रियाशील किए जाएंगे तथा 117 हिमफैंड की तरफ से संचालित किए जाएंगे। यह योजना प्रदेश में 20 जुलाई से 31 अक्टूबर, 2016 तक कार्यान्वित की जाएगी।

कहां भरे जाएंगे कितने पद

मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के करीब 1,400 पदों को भरने की अनुमति दी है। इसमें प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर जेबीटी अध्यापकों के 600 पद, उच्च शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर स्नातकोत्तर अध्यापकों (पीजीटी) के 500 पदों, आबकारी एवं कराधान विभाग में नियमित आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 108 पद, कांगड़ा जिला के नगरोंटा बगवां में नए राजकीय फार्मसी कालेज में विभिन्न श्रेणियों के 30 पदों के सृजन व भरने, पर्यटन विभाग में 29 पदों के सृजन व भरने, उद्योग विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से माइनिंग गार्डों के 26 पदों को भरने, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में अनुबंध आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 19 पदों को भरने, लोक निर्माण विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के द्वारा कनिष्ठ अभियंता (बागवानी) के 8 पद भरने और आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों के 7 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की है।

इसके अलावा एचपीएमसी में अनुबंध आधार पर चालक के 2 पद, सोलन जिले के नौणी स्थित डा. वाईएस परमार वानिकी एवं बागवानी विश्व विद्यालय में तकनीकी सहायक श्रेणी-1 के एक पद, उद्योग विभाग में अनुबंध आधार पर प्रोग्रामर प्रथम श्रेणी (राजपत्रित) के 1 पद के सृजन व भरने और एचपीएमसी में कम्पनी सचिव के एक पद के सृजन को स्वीकृति दी गई। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 1 पद को अनुबंध आधार पर सृजन व भरने और निदेशक भूरिकार्ड शिमला में दैनिक दिहाड़ी के आधार पर चालक का 1 पद भरने को स्वीकृति दी गई।

37 नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की तरफ से की गई घोषणाओं को पूरा करते हुए प्रदेश में 37 नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्टाफ सहित खोलने को मंजूरी प्रदान की। इसी तरह कांगड़ा जिले के ज्वाली तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुठलैहड़ को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्वीकृति दी गई। बैठक में सोलन जिला के चमियाण में आवश्यक स्टाफ सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) को स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री की तरफ से की गई एक अन्य घोषणा के अनुरूप सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित करने को भी सरकार ने स्वीकृति दी है।

डिग्री कालेज में 28 पद भरने को अनुमति

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के सुग-भटोली स्थित निजी तौर पर चलाए जा रहे दीन दयाल महेश डिग्री कालेज में विभिन्न श्रेणियों के 28 पदों के सृजन व भरने की अनुमति के साथ सरकार के अधीन करने को अनुमति प्रदान की। कांगड़ा जिले के शिवनगर स्थित स्वामी विवेकानंद ग्रामोदय कालेज को कालेज के सेवारत शिक्षक व गैर-शिक्षक स्टाफ सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्णय भी लिया गया। इसी तरह सिरमौर जिला के राजगढ़ स्थित राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय बैठक में लिया गया। बैठक में केन्द्रीय विद्यालय संगठन को मंडी जिला के संधोल स्थित केन्द्रीय विद्यालय को क्रियाशील करने के लिए पट्टे पर भूमि देने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

प्लस वन व टू के छात्रों को वर्दी

मुख्यमंत्री वर्दी योजना के अन्तर्गत जमा एक व जमा दो के विद्यार्थियों को स्कूली वर्दी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पहली से दसवीं कक्षा तक ही वर्दी दिए जाने का प्रस्ताव था लेकिन अब सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे सभी बच्चों को वर्दी देगी।

धर्मशाला के मेयर को एंबर बिकॉन लाइट

मंत्रिमंडल ने धर्मशाला स्थित नगर निगम के महापौर के सरकारी वाहन पर एंबर बिकॉन लाइट लगाने का निर्णय लिया है, साथ ही बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों में पदों को भरने में बेवजह होने वाली देरी से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को हर वर्ष 28 फरवरी व 30 जून तक पदों को भरने के लिए मांग पत्र पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। यह भी निर्णय लिया गया कि आयोग के परामर्श से तिथियों को पहले भी किया जा सकता है।

16 नए पशु औषधालय को मिलेगा स्टाफ

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप मंत्रिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न भागों में नए स्वीकृत 16 पशु औषधालय में आवश्यक स्टाफ सहित खोलने को स्वीकृति दी गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 13 पशु औषधालयों को आवश्यक स्टाफ सहित पशु अस्पताल में स्तरोन्नत किया जाए। मंत्रिमंडल ने राजकीय आईटीआई मनाली स्थित पतलीकूहल में हेयर एंड स्किन केयर ट्रेड को बदल कर इलैक्ट्रिशियन ट्रेड की स्वीकृति दी। बिहार के बोधगया में सराय भवन का निर्माण करने के लिए धनराशि प्रदान करने को भी स्वीकृति दी गई।

बिजली बोर्ड निदेशकों के नियम बदले

मंत्रिमंडल ने राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तों के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। यह मामला लंबे समय से विचाराधीन था, जिसे सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। अब निदेशकों को नए नियम एवं शर्तों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

विभिन्न संशोधनों व अधिनियमों को मंजूरी

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर एवं नियोजन नियम, 2014 के संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। इसी तरह हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबन्धन उत्तरदायित्व अधिनियम, 2014 के नियमों को बनाने की मंजूरी दी और हिमाचल प्रदेश मूल्यवर्धक कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कर अधिसूचियों में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।